राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	501/2018 हनुमान बनाम भंवर कँवर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/04/2026 को पेश हो।	
13/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी एवं रेस्पो. संख्या 12 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली कैम्प कोर्ट राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम जालसू में नियत कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 10/05/2017 पारित करते हुये तहसीलदार आमेर को विवादित भूमि की वर्तमान जमाबन्दी एवं कब्जे को प्राथमिकता देते हुये बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर तकासमा किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। पक्षकारान/सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक प्रक्रियां है ऐसेमें अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर विधिक विभाजन की प्रक्रियां में पारित प्राथमिक डिक्री को निरस्त किया जाना उचित नही समझा जाता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 10/05/2017 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	